दिनांक 28.04.2016 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, — अध्यक्ष।
   निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
2. श्री ललन कुमार सिंह, — सदस्य सचिव।
   उप निदेशक (मु0),
   अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
3. श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, — सदस्य।
   प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण,
   पटना प्रमंडल, पटना।
4. श्रीमति अनिता कुमारी, — सदस्य।
   अवर सचिव,
   अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
5. डॉ0 इन्दु कुमारी, — सदस्य।
   प्रधानाध्यापिका,
   रा0 अम्बे0 आ0 बालिका उच्च विद्यालय, हाजीपुर।
6. श्री सुरेन्द्र कुमार पासवान, — सदस्य।
   प्रधानाध्यापक,
   रा0 अम्बे0 आ0 बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद।
7. श्री संजय कुमार पोद्दार, — सदस्य।
   सहायक शिक्षक,
   रा0 10+2 उच्च विद्यालय, पुनपुन, पटना।

<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–</u>

1. विभागीय पत्रांक–1120 दिनांक 17.04.2010 का अनुपालन किया जाय। वर्ग–1 में नामांकन "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।
2. वर्ग–6 में नामांकन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 45 अंक के गणित तथा 45 अंक के हिन्दी का तथा 10 अंक अंग्रेजी ज्ञान का प्रश्न होगा, परीक्षा की अवधि 10.00 बजे से 12.00 बजे दिन तक दो घंटे की होगी।
3. वर्ग–1 एवं वर्ग–6 में नामांकन हेतु वैसे अनुसूचित जाति जिनकी साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है, उन अनुसूचित जातियों के छात्र–छात्राओं के लिए 40 प्रतिशत एवं अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करते हुए नामांकन किया जायेगा एवं शेष

36 B.K. Susil Das

35 प्रतिशत में अन्य अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए सीट आवंटित किया जाये अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट के तहत अगर बच्चें न मिले तो 20 प्रतिशत से कम साक्षरता वाले अनुसूचित जाति वर्ग से उक्त सीट को भरा जायेगा

4. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक का कोई आय सीमा नहीं होगी।

5. वर्ग–1 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष के पहली अप्रील (01.04.2016) को 05 वर्ष से 07 वर्ष रखा जाय। वर्ग–6 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष की पहली अप्रील 01.04.2016 को 10 वर्ष से 13 वर्ष रखी जाय। जन्म प्रमाण पत्र जो जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव/नगर निगम के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, की छाया प्रति संलग्न किया जायेगा।

6. नामांकन प्रक्रिया हेतु समय का निर्धारण सर्वसम्मति से निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया:–

(क)	आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि	:–	09.05.2016 से 14.05.2016 तक।
(ख)	आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	:–	17.05.2016 से 18.05.2016 तक।
(ग)	परीक्षा की तिथि	:–	29.05.2016.
(घ)	परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि	:–	06.06.2016.
(ड.)	नामांकन की तिथि	:–	10.06.2016 से 15.06.2016 तक।
(च)	कक्षा प्रारंभ की तिथि	:–	16.06.2016.

7. नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रश्न पत्रों का चयन/छपाई/वितरण मुख्यालय स्तर से निम्न तिथियों को किया जायेगा :–

(क)	प्रश्न पत्रों का चयन	:–	दिनांक–10.05.2016 से 12.05.2016 तक
(ख)	प्रश्न पत्रों की प्रुफिंग/छपाई	:–	दिनांक–16.05.2016 से 19.05.2016 तक
(ग)	प्रश्न पत्रों का वितरण	:–	दिनांक–24.05.2016 से 26.05.2016 तक

8. वर्ग–6 में नामांकन हेतु मेधा सूची, सभी परीक्षार्थियों की तैयार की जाय, ताकि चयनित सूची के नामांकन में अनुपस्थित छात्र/छात्रा के स्थान पर मेधा सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नामांकन किया जा सके।

9. नामांकन प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाय। साथ ही प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करायेंगे।

10. वर्ग–6 में नामांकन हेतु रिक्ति की सूचना सभी जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की सूचना दिनांक–19.05.2016 तक सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी निश्चित रूप से उपनिदेशक कल्याण पटना प्रमंडल, पटना एवं विभाग को उपलब्ध

11. नामांकन प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित कार्य के लिए उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना को संयोजक मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

37 B.K. Susil Das

12. यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा की तिथि 29.05.2016 को परीक्षा केन्द्र का निर्धा एवं विधि व्यवस्था संबंधी कार्य जिला प्रशासन के समन्वय से सभी जिला कल्याण पदाधिक सुनिश्चित करेंगें एवं किसी भी स्थिति में विभागीय शिक्षक द्वारा वीक्षण कार्य नहीं कि जायेगा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे

13. सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर यह सूचना प्रकाशित करेंगे कि आवेदक अपना–अपना जाति/आवासीय प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार से तुरत बनवा लें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक। 28/5/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–01/2015– 3837 पटना, दिनांक– 29/5/16

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Email to Dy. Dir.

निदेशक। 28/5/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–01/2015– 3837 पटना, दिनांक– 29/5/16

प्रतिलिपि–सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 28/5/16

38 B.K. Susil Das